उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 /2017/146(120)/XXVII(8)/2008 देहरादूनः दिनांक :: 29 दिसम्बर, 2017

चूँकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अधिसचना

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपिटत उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची III में, इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से, निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

संशोधन

अनुसूची III के कमांक 3 पर विद्यमान प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित नई प्रविष्टि अन्तःस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात:

क्र0 सं0	माल का वर्णन	कर का	कर की दर
1		बिन्दु	प्रतिशत
3(क)	डीजल ऑयल जो संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीज़ल ऑयल और	3	4
	अल्कोहल विकय कराधान अधिनियम, 1939 के अधीन यथा परिभाषित है, को जब उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2017) के अधीन रिजस्ट्रीकृत व्यापारी की औद्योगिक इकाई* को उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन कराधेय माल के विनिर्माण की प्रक्रिया में प्रयोग के लिए, ऐसी प्रक्रियानुसार तथा ऐसे प्रमाण पत्र के विरुद्ध विक्रीत किया जाए, जैसा कि कमिश्नर द्वारा विहित किया जाए।	विनिर्माता या आयातकर्ता	5%

(राधा रतूड़ी) प्रमुख सचिव

सं0 000/2017 / 146(120) / XXVII(8) / 2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2—निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित अनुमाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3—विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4-अपर सचिव, वित्त-८, उत्तराखण्ड शासन।

5-एन०आई०सी०

6-गार्ड फाईल हेतु।

आवश्यक कार्ववादा

अपर आयुक्त-वैणिज्य कर उत्तराखण्ड, देहरादून

आज्ञा से.

(हीरा सिंह बसेडा) अन् सचिव

DT:/Anil/New Vigyapti/ Diesel(28-11-2017)

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 2017/146(120)/XXVII(8)/2008 dated 29 December, 2017 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. \pi/2017/05(120)/XXVII(8)/2008
Dehradun: Dated:: 29 December, 2017

Notification

WHEREAS the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest,

NOW THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no.27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904(U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow to make the following amendment, with effect from the date of issuance of this Notification, in Schedule III of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005,:

AMENDMENT

In Schedule III, after the existing entry at serial no. 3, the following new entry shall be inserted; namely-

S. No.	Description of Goods	Point of Tax	Rate of Tax Percentage
1	2	3	4
3(A)	Diesel as defined under the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel oil and Alcohol Taxation Act, 1939 when sold to an industrial unit* of a dealer registered under the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 06 of 2017) for use in the process of manufacture of taxable goods under the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017, in pursuance of such manner and against such certificate as may be prescribed by the Commissioner.	Manufacturer or Importer	5%

(Radia Raturi) Principal Secretary

DT:/Anil/New Vigyapti/ Diesel(28-11-2017)